न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड
पीठासीन अधिकारीः अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मि0नं0 03/अपील/22 तारीख दायरा :15.02.2022

उनवान अपील

मांगी बाई आयु 71 साल पुत्री गोपीलाल पत्नी बापूलाल जाति लोढ़ा(तंवर) निवासी लालपुरा नायब तहसील बकानी हाल निवासी पाटलिया लोढ़ान तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान

अपीलार्थी

बनाम

01. किशनीबाई उर्फ कसनीबाई आयु 65 साल पुत्री कंवरलाल पत्नी मांगीलाल जाति लोढ़ा निवासी लालपुरा हाल निवासी बाडिया तहसील बकानी झालावाड़ राजस्थान
02. सरकार जर्ये नायब तहसीलदार नायब तहसील बकानी जिला झालावाड़

रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत निरस्त करने फोती नामान्तकरण संख्या 86 ग्राम लालपुरा नायब तहसील बकानी जो कृषि कृषक खातेदार गोपीलाल को फोती बताते हुए पास बुक वितरण केन्द्र हरिपुरा पर दिनांक 16.12.1995 को नायब तहसीलदार बकानी द्वारा किशनीबाई,मांगीबाई के नाम रेकार्ड अंकन करने हेतु स्वीकार कर खोला गया।

उपस्थितः श्री राजेश कुमार सुथार, अभिभाषक अपीलान्ट

–: निर्णय :– दिनांकः 05.03.2024

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि गोपीलाल पिता देवा जाति लोढ़ा साकिन लालपुरा की खातेदारी की किता 05 की 8 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि होना बताते हुए हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 05.12.1995 एवं भू अभिलेख निरीक्षक बकानी की रिपोर्ट 15.12.1995 की आड़ में पास बुक वितरण केन्द्र हरिपुरा दिनांक 16.12.1995 को दूषित प्रकिया द्वारा नामान्तकरण संख्या 86 ग्राम लालपुरा तस्दीक करवाया गया जो विधी के प्रावधानों एवं नियमों के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है।

हल्का पटवारी की रिपोर्ट में खातेदार गोपीलाल को 02 वर्ष पहले फोत होना बताया है वह कहां फोत हुआ इसका खुलासा नहीं किया गया। नामान्तकरण तस्दीक करने से पहले खातेदार गोपीलाल के वारिसान की जांच एवं सुनवाई नहीं कर संबंधित ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किये बिना नायब तहसीलदार को गुमराह कर दिनांक 16.12.1995 तस्दीक किया जो आरम्भतः शून्य एवं विधी विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 04.09.1982 के अनुसार कृषि भूमि से संबंधित पंचायत क्षेत्र में स्थित कृषि आराजियत के नामान्तकरण की कार्यवाही के लिए संबंधित ग्राम पंचायत को अधिकार दिये है। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा उसके समक्ष पेश नामान्तकरण का 45 दिनों में निर्णय किया जाना बताया है विफल होने की दशा में ही संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार को कार्यवाही को सुनने एवं निर्णित करने का अधिकार दिया गया है।

अपीलांट खातेदार गोपीलाल की एकमात्र पुत्री एवं तन्हा वारिस है रेस्पो0 01 कंवरलाल की पुत्री है उसका अपीलांट से या अपीलांट के पिता गोपीलाल से किसी भी तरह का दूर या पास का कोई वास्ता नहीं है। नायब तहसीलदार बकानी द्वारा नामान्तकरण तस्दीक करने से पहले अपीलांट की किसी तरह से सुनवाई किये बिना रेस्पो0 01 को अपीलांट की बहन बताते हुए आधे हिस्से की आराजियात का खातेदार बना दिया जबकि उसका कोई हक नहीं था इस वजह से नामान्तकरण 86 दिनांक 16.12.1995 विधी विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अपील स्वीकार कर नामान्तकरण 86 दिनांक 16.12.1995 को निरस्त कर अपीलांट के नाम खातेदार गोपीलाल की समस्त आराजियात दर्ज करने के आदेश किये जाने बाबत अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर झालावाड़

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया ,रेस्पो0 की ओर से वकील श्री शैलेन्द्र पोषवाल का वकालतनामा प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील रेस्पो0 दौराने बहस उपस्थित होने से उनका पक्ष नहीं सुना जा सका उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा पत्रावली एकतरफा बहस वकील अपीलार्थी में रखी गई।

पत्रावली में वकील अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों एवं उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस जिसकी एक प्रति वकील रेस्पो0 की भी दिलवाई गई को दोहराते हुए यह स्पष्ट किया कि खातेदार गोपीलाल की एकमात्र पुत्री अपीलांट मांगीबाई है तथा रेस्पों0 संख्या 01 किसनीबाई कंवरलाल की पुत्री है उसका अपीलांट के पिता गोपीलाल से किसी भी तरह का दूर या नजदीक का कोई वास्ता नहीं है। नायब तहसीलदार बकानी ने नामान्तकरण जेर अपील सुनने से पहले अपीलांट को काई सूचना नहीं दी और अपीलांट को सुने बिना ही रेस्पों0 संख्या 01 को बिना किसी जांच के अपीलांट की बहन बताते हुए हिस्से का सहखातेदार बना दिया जो निरस्त होने योग्य है।

हमने वकील अपीलांट की बहस एवं नायब तहसीलदार बकानी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से प्रथम दृष्टतया यह स्पष्ट है कि वक्त नामान्तकरण खोलते वक्त मृतक गोपीलाल के वारिसों की जानकारी नहीं ली गई। केवल पटवारी द्वारा अपीलांट की एक अन्य बहन होने की जानकारी देने पर इंतकाल संख्या 86 में उसे सहखातेदार बनाया गया जिसके आधार पर नायब तहसीलदार बकानी ने इंतकाल तस्दीक किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार बकानी द्वारा खोला गया इंतकाल संख्या 86 दिनांक 16.12.1995 निरस्त करते हुए अपील अपीलांट तहसीलदार तहसील बकानी को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारों को समूचित सुनवाई का अवसर देते हुए नये सिरे से इंतकाल विधि द्वारा सुस्थापित प्रकिया के तहत खोला जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार तहसील बकानी को पालनार्थ भिजवाये जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/03/24 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड